न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारी: नन्दकिशोर राजोरा, आर0 ए0 एस0

राजस्व अपील संख्या– 51 / 2022

जीसीएमएस नम्बर– 2022 / 139

अपीलाण्टः–

1. फरीद अहमद पुत्र ताज मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी व तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर। जरीये आम मुखत्याररनामा नरपतराम पुत्र पुनमारामजी विश्नोई, निवासी 274, बारो की धानी, वियो का गोलिया, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेण्टः–

1. मांगीलाल पुत्र किस्तुरजी, जाति जांगीड, निवासी चवरछा, तहसील आहोर, जिला जालोर हाल– घाट लोडीया अहमदाबाद
2. शेनवा मुकेश कुमार पुत्र शिवभाई कौम शेनवा, निवासी अमीनपुरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–:निर्णयः–

दिनांकः– 19/12/2022.

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 06 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चवरछा के वर्तमान खसरा नम्बर 602, 603, 621, 622, 624 के सम्बध में एक दावा खातेदारी हक घोषणा एवं बंटवाडा का वाद पेश कर रखा है। जो अजमेर राजस्व न्यायालय में निगरानी अपीलाण्ट द्वारा पेश कर रखी है। जो विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलाण्ट की खरीदशुदा है। जिसमें अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा बंट में आता है। वाद–पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प चवरछा में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा देने का कोई आधार नहीं है। मुकेश कुमार शेनवा ने उसका सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट को बेचान की है। तथा राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट 1/3 हिस्से का खातेदार है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अपनी खरीदशुदा भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण का मेरिट पर अवलोकन करने पर जैर अपील निर्णय का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनो बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एव अपूर्णनीय क्षति का परीक्षण करना आवश्यक प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

प्रथम दृष्टया मामलाः– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी वर्ष 2005 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा चवरछा के खसरा संख्या 602, 603, 621, 622, 624, 1025, 1026, 1027, 1052, 1053, 1054 में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 मांगीलाल का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मांगीलाल द्वारा मनोज कुमार को उक्त आराजी में से खसरा संख्या 1025, 1026, 1027, 1052, 1053, 1054 में से उसका 1/3 हिस्सा विक्रय किया गया, जो उपपंजीयक आहोर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 01 की जिल्द संख्या 12 पर क्रमांक 2006000965 पर पंजीकृत है। उक्त बैचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 244 स्वीकृत किया गया, जिसका अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि मनोज कुमार पुत्र कशमीरा का नाम खसरा संख्या 1025, 1026, 1027, 1052, 1053, 1054 के स्थान पर सम्पूर्ण खाते में दर्ज तमाम खसरे 602, 603, 621, 622, 624, 1025, 1026, 1027, 1052, 1053, 1054 पर स्वीकृत किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं होता है कि मांगीलाल द्वारा खसरा संख्या 602, 603, 621, 622, 624 में निहित अपने 1/3 हिस्से का बेचान किया हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होता है।

सुविधा का संतुलनः– यह बिन्दु सामान्यतः बिन्दु संख्या 01 के विनिश्चय पर निर्धारित एवं प्रभावित होते है।

अपूर्णनीय क्षतिः– रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का उक्त आराजी में हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं? इन तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद में तनकीयात विनिश्चत होने पर ही संभव होगा। किन्तु दौराने वाद राजस्व रेकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने से उक्त वादस्थ भूमि का बेचान, हस्तान्तरण होता है तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढ़ने की आंशका है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं मानते हुए रेस्पोडेण्ट के पक्ष में साबित माना है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2015 बउनवान मांगीलाल बनाम शेनवा मुकेश कुमार में पारित आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

12.05.2018 का यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर